फर्द अहकाम

पूरणमल बनाम सरकार

लय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

४४/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२६/९/२१	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा. पत्र, शपथ व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस को सुना किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज हो जरूर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
1[illegible]/202[illegible]	0[illegible]/[illegible]/202[illegible]	26.09.2024

पूरणमल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी रामपुरावास चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा : – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नाम दुरूस्ती एवं शुद्विकरण

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नाम दुरूस्ती एवं शुद्विकरण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 कुल रकबा 0.04900है0 अनुसार ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिनके राजस्व रिकार्ड में राजस्व इन्द्राज खातेदारी में मात्र प्रार्थी पिता का नाम का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हो जाने के कारण विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी खतौनी में दौराने राजस्व इन्द्राज लिपिकीय भूलवश त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रार्थी सं0 1 का नाम पुरणमल पुत्र श्योजीराम अनुसार खातेदारी इन्द्राज हो गया। जो कि खतौनी मे राजस्व कर्मचारी द्वारा भूलवश सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने से प्रार्थी के अधिकार खातेदारी बाधित होकर चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि को साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 1 विघा 18 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया गया है, जिसमें प्रार्थी का नाम पूरणमल पुत्र श्योराम अनुसार अंकित किया गया था, जिसके अनुशरण में ही नामा0 सं0 165 में प्रार्थी का नाम पूरणमल पुत्र श्योराम इन्द्राज किया गया, लेकिन जमावन्दी खतौनी में प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूलवश अंकित है। जो कि एक भूलवश त्रुटिपूर्ण इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। अतः खसरा नम्बर 75, 76 अनुसार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पुरणमल पुत्र श्योजीराम के स्थान पर पूरणमल पुत्र श्योराम अनुसार दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक / आर.टी. / 2024 / 367 दिनांक 02.05.24 द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट / जवाव में निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 रकबा 0.49है0 भूमि खातेदार पुरणमल पुत्र श्योराम जाति मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दौलतपुरा के नामा0 सं0 165 बैचान से ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

दौलतपुरा के खाता सं0 51 मे खातेदार प्रभात पुत्र रामपाल मीना की बजाय पूरणमल पुत्र श्योराम मीना सा0रामपुरावास चावण्डिया के नाम नामा0 स्वीकार हुआ था। ग्राम दौलतपुरा की गत जमाबन्दी संवत 1073–76 के खाता सं0 80 के अनुसार खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 रकबा 0.49है0 भूमि खातेदार पुरणमल पुत्र श्योजीराम कौम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दौलतपुरा के नामा0 सं0 165 दिनांक 28.11.1983 बेचान से ग्राम दौलतपुरा के खाता सं0 51 के खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में खातेदार प्रभात पि0 मु0 रामपाल मीना की बजाय पूरणमल पुत्र श्योराम सा0रामपुरावास चावण्डिया के नाम नाम0 स्वीकार हुआ था। जबकि ग्राम दौलतपुरा की गत जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता सं0 80 के अनुसार खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 रकबा 0.49है0 भूमि खातेदार पुरणमल पुत्र श्योजीराम कौम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः श्रीमानजी प्रार्थी द्वारा ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 मे खातेदार पूरणमल पुत्र श्योजीरामं के स्थान पर पुरणमल पुत्र श्योरामं दुरूस्त कराने हेतु आवेदन किया है। उक्त के संदर्भ मे ग्राम दौलतपुरा की जमा0 संवत 2073–76 वर्तमान जमाबन्दी 2078 से स्थायी व नामा0 सं0 311 की जॉच करने पर पाया कि ग्राम दौलतपुरा की गत जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता सं0 80 में खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 खातेदार पुरणमल पुत्र श्योजीराम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया के नाम दर्ज रिकार्ड थे। जिसमें जरिये ना0सं0 311 दिनांक 08.06.2022 (न्याया0 आदेश) से खाता सं0 78 के खसरा नम्बर 75, 76 किता 2 रकबा 0.49है0 में खातेदार पुरणमल पुत्र श्योजीराम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया की बजाय खातेदार पुरणमल पुत्र श्योराम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया दर्ज हुआ था। वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 78 में खसरा नम्बर 75, 76 किता 02 रकबा 0.49है0 भूमि खातेदार पुरणमल पुत्र श्योराम मीना सा0 रामपुरावास चावण्डिया के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम दौलतपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 75 व 76 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम पुरणमल पुत्र श्योजीराम के स्थान पर पूरणमल पुत्र श्योराम अनुसार राजस्व इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़